न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 278/2013

GCMS NO. : 2013/00005

–:: प्रार्थी ::–	बनाम	–:: अप्रार्थीगण ::–
1. प्रवीणनाथ पुत्र बालूनाथ जाति– नाथ, निवासी– मु.पो. गिरी, तहसील– रायपुर, जिला– पाली राज०।		1. मंदिर आसण श्री नागाजी बाके देह जरिये तहसीलदार महोदय, जैतारण जिला पाली, राज०। 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, महोदय, जैतारण, जिला– पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी

तारीख रजू: 05/12/2013

उपस्थित

1. श्री महेन्द्र प्रजापत जैतारण, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. सरकार, पैरोकार राज, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::–

दिनॉक: 27/12/2021

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत् इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा सं. 273 रकबा 17 बीघा 9 बिस्वा तथा खसरा स. 274 रकबा 4 बिस्वा जो कि ग्राम ठाकरवास तह. जैतारण जिला पाली में स्थित है। उक्त विवादित आराजीयात जमाबंदी संवत् 2021 से 2024, सवत् 2025 से 2028, सवत् 2029 से 2032 एवं सवत् 2033 से 2036 में प्रार्थी के पिता मृतक बालू नाथ की खातेदारी में अंकित चली आ रही है। उसके पश्चात विवादित आराजीयात जमांबदी सवत् 2042 से 2045, 2046 से 2049 2054 से 2057 में अप्रार्थी स. 1 के नाम दर्ज कर दी गयी जो कि कतई विधि विरुद्ध है तथा विवादित आराजी पर प्रार्थी से पूर्व प्रार्थी के पिता ही काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे थे तथा के पश्चात प्रार्थी विवादित भूमि पर काबिज होकर काश्त उनकी मृत्यु करता चला आ रहा है तथा आज दिनांक तक लगातार प्रार्थी का ही विवादित आराजी पर कब्जा काश्त है। संवत् 2017 से 2020 की जमाबंदी में भी विवादित आराजी की काश्त प्रार्थी के पिता स्व. श्री [illegible] है जिससे यह पूर्ण रूप से सिद्ध होता है कि विवादित आराजीयात पर प्रार्थी [illegible] पूर्व [illegible]के पिता तथा स्व. बालू नाथ की मृत्यु के पश्चात प्रार्थी काबिज [illegible] आ रहा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में [illegible]लेख में मूर्ति मंदिर के नाम विभिन्न रूपों में अभिलिखित भूमियो में काबिज का[illegible]कार के खातेदारी अधिकारों होने बाबत राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर परिपत्र दिनांक 31.12.1991, 06.03.2007 तथा 24.05.2007 जारी किये गये तथा अन्तिम तौर पर दिनांक 06.01.2010 को परिपत्र संख्या राम/4–63/न्याय/स्था/05/636–089 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishn
Date: 2022.01.24 18:29:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

जरिये यह व्यवस्था सुनिश्चित की कि जागीरों के अधिग्रहण के समय मंदिर माफी की भूमि जो किसी व्यक्ति के नाम खातेदार, पट्टेधार अथवा खादिमदार के नाम दर्ज थी उनमे उन खातेदारों को पूर्ण उत्तराधिकार योग्य एवं हस्तान्तरित अधिकार प्राप्त होगें। ऐसी भूमियो को पुनः मंदिर के नाम दर्ज किया जाना विधिसम्मत नहीं है। यहां यह अभिकथित किया जाना भी उचित होगा कि प्रार्थी के पिता का नाम संवत् 2025 से 2036 तक लगातार बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा संवत् 2017 से 2020 की जमांबदी में भी प्रार्थी के पिता का कब्जाकाश्त दर्ज है तथा मंदिर माफी जागीरों का अधिग्रहण सन् 1963 में किया गया था। उस अनुसार भी प्रार्थी के पिता का नाम बहैसियत खातेदार दर्ज किया जाना उचित व न्यायसंगत है तथा उनकी मृत्यु के पश्चात प्रार्थी कानूनन बतौर खातेदारी की उद्घोषणा करवाने का अधिकारी है। उक्त सभी परिपत्रो के आधार पर यह साफ तौर पर सिद्ध हो जाता है कि प्रार्थी के पिता के नाम जो खातेदारी जमांबदी संवत् 2021 लगायत 2036 में दर्ज थी वो बिल्कुल विधिसम्मत तथा पुनः बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के उक्त खातेदारी अप्रार्थी स. 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की गयी, वो कतई गलत व कानूनी प्रावधानों के विपरीत है। उक्त विभिन्न परिपत्र जो राजस्व मण्डल के द्वारा समस समय पर जारी किये उनसे कानून की स्थिति रूप से स्पष्ट हो जाती है कि पुनः विवादित आराजी की खातेदारी अप्रार्थी स. 1 के नाम दर्ज नहीं की जा सकती तथा जो खातेदारी पुनः राजस्व कर्मचारियों के साथ अप्रार्थी स. 1 के नाम दर्ज की गयी है वह विधि के प्रावधानों के विपरीत है। न्याय का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि राजस्व कर्मचारियों को केवल एन्ट्रीज् को रिपीड करने का अधिकार होता है उसमें बदलाव केवल उत्तराधिकार अथवा सक्षम न्यायालय के आदेशो के द्वारा ही संभव है। परन्तु प्रस्तुत प्रकरण की परिस्थितियों में राजस्व कर्मचारियों ने बगैर किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के विवादित आराजी की खातेदारी अप्रार्थी स. 1 के नाम दर्ज करने की कानूनी भूल की है। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में है, क्यों कि प्रार्थी के पिता का नाम बतौर खातेदार जमाबंदी सवंत 2021 से 2036 तक में दर्ज है तथा उनकी मृत्यु के पश्चात कानूनी प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये तथा जो खातेदारी अप्रार्थी के नाम दर्ज की गयी है वो कतई कानूनी प्रावधानों के विपरीत है तथा सुविधा का सन्तुलन भी अप्रार्थी के बजाय प्रार्थी के पक्ष में है।यदि अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द नही किया गया, तो वे प्रार्थी को उसके खातेदारी आराजी से बेदखल कर देगें तथा प्रार्थी की खातेदरी की भूमि को खुर्द बुर्द कर देगे जिससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन मुद्रा में आका जाना संभव नही है। अन्य उजरात बरवक्त बहस प्रस्तुत कर दिये जायेगे। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला मूल वाद अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया ... वे प्रार्थी को उसकी खातेदारी की आराजी में से बेदखल नही करे तथा विवादित आराजी को खुर्द बुर्द नही करे एवं मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

इस पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किया गया। अप्रार्थीगण तहसीलदार जैतारण ने बिन्दुवार मौका स्थिति एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुये कथन किया है कि बिन्दु संख्या 01 रेकर्ड अनुसार होने से स्वीकार है। बिन्दु संख्या 02 अस्वीकार है। उक्त भूमि खसरा 273 रकबा 17-09 बीघा एवं खसरा नम्बर 274 रकबा 0-04 बीघा ग्राम ठाकरवास की

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bis
Date: 2022.01.24 18:29:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

वक्त बन्दोबस्त सम्वत् 2011 से 2030 तक के आसण श्री नागाजी बाके देह व पुजारी बालूनाथ चेला शिवलाल सा० गिरी डोलदार दर्ज है। एवं उपभोक्ता का नाम खुदकाश्त दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत् 2021 से 2024 में बिना किसी आदेश या नामान्तरण के आसण नागाजी से कालूनाम चेला शिवलाल निवासी गिरी को खातेदार दर्ज कर दिया गया था जिसका रेफरेन्स राजस्व दिनांक 2/2001 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जैतारण बनाम बालूनाथ चेला शिवलाल के कायम मुकाम वगैरा के विरूद्ध दर्ज करवाया गया, जो राजस्व न्यायालय अजमेर में विचाराधीन है। बिन्दु संख्या 03 अस्वीकार है क्योकि बिना किसी आधार पर रेकर्ड में अमल दरामद हुआ है। बिन्दु संख्या 04 के अनुसार भूमि वक्त सेटलमेन्ट से आसण श्री नागा जी स्वयं के खुदकाश्त की रही है। अतः प्रार्थी को किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करनें का अधिकार नहीं है। परिपत्रों की पालना में डोली के नाम दर्ज की है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा आसण नागाजी के नाम भूमि दर्ज की है वही सही है। राजस्व मण्डल के परिपत्र दिनांक 31.12.1991 के निर्देशों की पालना में एवं राजस्व अधिकारीयों के निर्देशों की पालना में ही उक्त भूमि को राजस्व कार्मिको ने उक्त भूमि आसण के नाम दर्ज की है, जो सही है। प्रार्थी का कथन गलत है कि वाद का कारण दिनांक 12.10.2013 को प्रथम वाद उत्पन हुआ। माननीय न्यायालय में उक्त प्रार्थीगण से सम्बन्धित उक्त भूमि का प्रकरण 48/81 नवीन 28/2015 दिनांक 08.08.1981 से विचाराधीन हैं। अतः जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि भूमि डोली की होने एवं रेफरेन्श राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन होने से उक्त निरस्त फरमावें।

बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। और उस पर मनन किया। हमनें पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। हम प्रकरण को अस्थाई व्यादेश से संबंधित निम्नलिखित तीन सारभूत बिन्दुओं के आधार पर विवेचन करते हुए निर्णीत करना समुचित समझते हैंः–

1– प्रथमदृष्ट्या मामलाः– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी मन्दिर आसण श्री नागाजी जरिये तहसीलदार जैतरण के विरूद्ध वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् हस्तगत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी सम्वतृ 2021 से 2024, 2025 से 2028, 2029 से 2032 एवं 2033 से 2036 प्रार्थी के पिता मृतक बालूनाथ के नाम चलती आई थी उसके पश्चात विधि विरूद्ध रूप से अप्रार्थी संख्या 01 का नाम दर्ज कर दिया गया।

तहसीलदार जैतारण, जवाब प्रार्थनापत्र. में निवेदन किया गया है कि वादग्रस्त आराजी वक्त बन्दोबस्त सम्वत् 2011 से 2030 तक आसण श्री नागा जी वाके देह बऐतमाम पुजारी कालूनाथ चेला शिवनाथ सा० गिरी डोलीदार दर्ज थी। जमाबन्दी सम्वत् 2021 से 2024 में बिना किसी आदेश या नामान्तरण से आसण श्रीनागा जी के स्थान पर बालू नाथ चेला शिवनाथ को खातेदार दर्ज कर दिया गया। जिसका रेफरेन्स राजस्व विविध 02/2001 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जैतारण बनाम बालूनाथ चेला शिवनाथ के कायम मुकाम के विरूद्ध दर्ज करवाया गया, जो राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन है। वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेन्ट आसन श्रीनागा जी की खुदकाश्त भूमि रहीं है। अतः प्रार्थी अनुतोष प्राप्त करनें का अधिकारी नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishno
Date: 2022.01.24 18:29:56 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थनापत्र पर उपलब्ध भू अभिलेख से अप्रार्थी के कथनों की पुष्टि होती है तथा वादग्रस्त आराजी डोली बनाम आसण श्री नागा जी जो कि शाश्वत नाबालिग है कि

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

खातेदारी भूमि है तथा ऐसी भूमि के सम्बध में किसी भी व्यक्ति का कोई व्यक्तिगत हित या अधिकार नहीं हो सकता, अतः प्रथमदृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष साबित नहीं होता है।

2- सुविधा का संतुलन :- चुंकि पूर्व विवेचित बिन्दु संख्या 01 प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं हुआ है साथ ही वादग्रस्त आराजी शाश्वत नाबालिग होली बनाम आसण श्री नागाजी की खातेदारी भूमि है होने से प्रार्थी के पक्ष में किसी प्रकार का सुविधा का संतुलन साबित नहीं होता है।

3- अपूरणीय क्षति :- पूर्व विवेचित बिन्दु प्रथमदृष्ट्या मामला एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं हुये है, साथ ही वादग्रस्त आराजी शाश्वत नाबालिग होली बनाम आसण श्री नागाजी की खातेदारी भूमि है। अतः प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होताहै। अतः यह बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरुद्ध स्थापित होता है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवचेन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र बखूबी साबित नहीं होनें से अस्वीकार/खारिज किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

-: आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवचेन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण/वादीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व आदेश 39 नियम 01 व 02 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित नहीं होनें एवं सारहीन होनें से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 27/12/2021 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:29:56 IST
Reason: SelfAttested